संख्या-222/2016/5506/26-3-2016-25 रिट/2010

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

विषयः आल इण्डिया धनगर समाज महासंघ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-40462/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-14.03.2012 के अनुपालन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक-16.01.2013 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1654/26-3-2013, दिनांक-24.10.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश के द्वारा सिविल मिस रिट याचिका संख्या-40462/2009 आल इण्डिया धनगर समाज महासंघ उ0प्र0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-14.03.2012 तथा उक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.01.2013 के अनुपालन में DHANGAR (धनगर) न कि DHANGAD (धंगड़/धनगड़, धंगर) जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्देश पारित किया गया था।

3- इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में इस आशय के शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं कि धनगर जाति के पात्र व्यक्तियों को गड़ेरिया आदि बताकर मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कभी भी प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय एवं मा0 आयोग के समक्ष अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

4- अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश/निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा अवमानना की स्थिति उत्पन्न होने पर इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in